

>

Title: Need to accord permission to the proposals submitted by Government of Gujarat regarding rights of Adivasi people on forest land in the State.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): कई दशकों से आदिवासी लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ इस माननीय सदन में आदिवासी सांसदों ने मामले उठाये तब वन अधिकार अधिनियम बना परंतु इन नियमों का ही पालन नहीं हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच अंतर्गत नर्मदा जिले में 24000 प्रस्ताव भेजे गए जिसमें केवल 2000 ही स्वीकृत किये गये हैं। वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों एवं वनवासी को वन भूमि दिलवाये जाने के बारे में ताल्लुका स्तर एवं जिला स्तर पर स्वीकृत होकर जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को भेजे गये हैं उक्त प्रस्तावों में से 22000 प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है और इन प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। गुजरात सरकार से नर्मदा जिले की वन भूमि अधिकार के संबंध में जो प्रस्ताव भेजे गये हैं उनकी पूरी जांच की गई और उसके साथ वन भूमि अधिकार संबंधी सबूत भी भेजे गये फिर भी 22000 प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नर्मदा एवं भरूच जिले के वन भूमि अधिकार के संबंध में जो प्रस्ताव राज्य एवं केन्द्र सरकार को दिये गये हैं। उन प्रस्तावों की स्वीकृति तत्काल दी जाये एवं जितना उनका कब्जा है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाये जिससे वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों के पास घर हो सकें।